उत्तर प्रदेश शासन,
पर्यटन अनुभाग-1
संख्या-731/2024/2098/41-1-2024-001-**सी0एन0**-1487675-2024
लखनऊ: दिनांक 27 अगस्त, 2024

शुद्धि-पत्र

मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अन्तर्गत जनपद बिजनौर के विधान सभा के क्षेत्र-चांदपुर, बढ़ापुर, नहटौर एवं नजीजाबाद के पर्यटन विकास कार्य के सम्बन्ध में पर्यटन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-667/2024/1653/41-1-2024-001-CN-1487675-2024, दिनांक 18-07-2024की प्रतिलिपि के क्रमांक-4पर अंकित **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ** के स्थान पर **''मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ''**एतद्द्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार सन्दर्भगत शासनादेश दिनांक 18-07-2024उक्त सीमा तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. जिलाधिकारी,बिजनौर।
4. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
5. निदेशक सह,मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग,लखनऊ ।
6. वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7. निदेशक, उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA)
8. निदेशक, पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि कृपया क्रमांक-5, 6, 7 व 9 को अपने स्तर से आदेश की प्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
9. उप निदेशक, पर्यटन, बरेली/मुरादाबाद मण्डल, बरेली।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
11. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in